





FORM NO. III
फर्दअहकाम
(नियम- 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ) सिवाना जिला बालोतरा

वादी/वादीगण	बनाम	प्रतिवादी/प्रतिवादीगण
1 जबरा पुत्र मादा जाति पुरोहित 2 डाय पुत्र मादा जाति पुरोहित निवासी नाल तहसील सिवाना जिला बालोतरा		1 चौथाराम पुत्र नरसीगा जाति पुरोहित गियारी गुडा तहसील सिवाना जिला बालोतरा वगैरह (10) 11 शाखा प्रबंधक एस.वी.आई एडीबी बैंक शाखा सिवाना 12 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

किस्म मुकदमा.....धारा 53,188 RT Act.

मुकदमा नंबर:-63/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
18.06.2025	<p>वादी जबरा वगैरह की ओर से वकील श्री महावीरसिंह ने यह वाद पत्र प्रतिवादी चौथाराम वगैरह के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 53,188 RT Act. का प्रस्तुत किया, जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 21.07.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  (सुरेन्द्र सिंह खंगारोत) सहायक कलक्टर (SDO) सिवाना </p>	
26-06-2025	<p>पत्रावली वादीगण वकील व वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर आज तलब की गई। वादीगण प्रप वादीगण आधीवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाक्यरुत श्रमि के संबंध में उपपक्ष के प्रष्य लोके अदालत की श्रावना से राजीनामा ले गया है। अतः वादीगण का वाद तथा वाद प्रस्तुत करने का एक सुरक्षित रखते हुए विद्ने स्वार्जिज करभावे।</p> <p>हमने वादीगण प्रप वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया गया।</p> <p>वादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद प्रप जरिये विद्ने स्वार्जिज किया जाता है। पत्रावली अमल अम्मार केकर चाम्पिल दफ्तर थे।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलक्टर (S.D.O) सिवाना </p>	<p>चौथाराम</p> <p style="text-align: center;">  अ. नि. जबरा पक्षीगण मध्यम Adv. </p> <p style="text-align: right;">  </p>